

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 03.09.2023

10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम नौशादर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा “अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय” से सम्बन्धित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र थाना एम्स के नेतृत्व में उ०नि० रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी जगदीशपुर मय टीम द्वारा अभियुक्त संत कुमार पासवान पुत्र स्व० रामवृक्ष निवासी जगदीशपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, 250 ग्राम नौशादर व 400 ग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 103/2023 धारा 272 भादवि० व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

संत कुमार पासवान पुत्र स्व० रामवृक्ष निवासी जगदीशपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 103/2023 धारा 272 भादवि० व 60 आबकारी अधिनियम थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 440/2020 धारा 498ए/504/506 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 1748/2009 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 10 लीटर अवैध कच्ची शराब
2. 250 ग्राम नौशादर
3. 400 ग्राम यूरिया

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ०नि० रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी जगदीशपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० अभिषेक कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का० विकास यादव थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. का० अनिल यादव थाना एम्स जनपद गोरखपुर
5. का० सन्तोष कुमार सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
6. का० प्रभाकर सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर